पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-896

दिनांक- 01.06.2026

➢ ***लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना- सआदतगंज क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-***

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 61(12)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत विपक्षी व अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, राज्य की ओर से उपस्थित **विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन श्री अवधेश कुमार सिंह** द्वारा अपने तर्को के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-01.06.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वादसं0	नामपता विपक्षी	आपराधिकइतिहास				जिलाबदर की अवधि
				क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
सआदतगंज	1	61(12)/2026	रियाज अली उर्फ अमान उम्र 32 वर्ष पुत्र लियाकत अली निवासी म0नं0 433/119 रामनगर अम्बरगंज थाना सआदतगंज, लखनऊ	1	119/2025	331(4)/305/317(2)/317(4) BNS	मड़ियांव	06 माह
				2	256/2025	331(4)/305/317(2)/317(4) BNS	मड़ियांव	
				3	443/2025	305(a)/317(2)/317(4) BNS	मड़ियांव	
				4	445/2025	305(a)/317(2)/317(4) BNS	मड़ियांव	
				5	210/2023	379/411/413 IPC	ठाकुरगंज	
				6	244/2023	379/411/413 IPC	ठाकुरगंज	
				7	247/2023	411/413 IPC	ठाकुरगंज	
				8	96/2018	380/411 IPC	चौक	
				9	463/2018	411/413 IPC	चौक	
				10	431/2015	41/411/413/414 IPC	ठाकुरगंज	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-895
दिनांक-01.06.2026

जोन-पश्चिमी

CEIR पोर्टल एवं साइबर सेल पश्चिमी जोन द्वारा जनता के खोये हुए 220 अदद गुमशुदा मोबाइल फोन (अनुमानित कीमत लगभग 42 लाख 50 हजार रूपये) बरामद कर वास्तविक धारकों को किया गया सुपुर्द

संक्षिप्त विवरण:-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ अमरेन्द्र सिहं सेंगर के निर्देशानुसार जनता के खोये हुए मोबाइल फोन बरामद किये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान् पुलिस आयुक्त के जनशिकायत प्रकोष्ठ से मोबाइल फोन ***गुमशुदगी से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्र एवं CEIR पोर्टल*** पर मोबाइल फोन गुमशुदगी से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्र जिन्हें बरामद किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) श्री कमलेश दीक्षित के कुशल निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में व **अपर पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) धनंजय कुशवाहा** के मार्गदर्शन में गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी के अभियान के क्रम में सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग/सहायक साइबर नोडल अधिकारी पश्चिमी जोन श्री नवरत्न गौतम के नेतृत्व मे पश्चिमी जोन के सक्रिय समस्त थानो की साइबर हेल्प डेस्क टीम के अथक परिश्रम एवं मेहनत के फलस्वरूप विभिन्न कम्पनियों के कुल 220 अदद मोबाइल फोन लखनऊ तथा अन्य जनपद एवं अन्य प्रान्तों से बरामद किया गया जिन्हें **पुलिस उपायुक्त (पश्चिमी) महोदय द्वारा उनके वास्तविक धारकों को प्रदान किया गया।**

बरामदगी का विवरण:-

जनता के खोये हुए बरामद मोबाइल फोन - **220 अदद।**

अनुमानित कीमत - **लगभग 42 लाख 50 हजार रूपये।**

थानावार मोबाइल फोन का विवरण:-

क्र0स0	थाना	मोबाइल फोन की सं0	कीमत
1	कैसरबाग	13	184738
2	अमीनाबाद	21	351988
3	नाका	20	350897
4	काकोरी	7	130000
5	पारा	12	172383
6	दुबग्गा	40	756358
7	चौक	41	806000
8	वजीरगंज	12	250000

9	ठाकुरगंज	32	769850
10	बाजारखाला	2	52998
11	सआदतगंज	7	150000
12	तालकटोरा	9	182990
13	अन्य	4	90000
कुल मोबाइल फोन एवं कीमत		**220**	**4248202**

मॉडल वार मोबाइल फोन का विवरणः-

क्र0स0	**मॉडल**	**मोबाइल फोन की सं0**
1	SAMSUNG	20
2	VIVO	35
3	OPPO	40
4	REAL ME	35
5	ONE PLUS	20
6	REDMI	55
7	OTHER	15
TOTAL		**220**

मोबाइल फोन खो जाने पर क्या करे (आवश्यक दिशा निर्देश) –

1. **UPCOP APP प्ले स्टोर से डाउनलोड करे।**
2. **उसी नंबर का नया सिम निकलवाए।**
3. **LAR (LOST ARTICLE REPORT) दर्ज करे।**
4. **आधार कार्ड की पीडीएफ बनाये।**
5. **मोबाइल फोन का बिल पीडीएफ मे सुरक्षित रखे।**
6. **CEIR PORTAL पर शिकायत दर्ज करे।**
7. **नजदिकी थाने से सम्पर्क करे।**
8. **थानो पर साइबर हेल्प डेस्क टीम गठित है किसी भी सहायता के लिये थानो की टीम से समन्वय स्थापित करे।**

बरामद करने वाली टीम का विवरण:-

पश्चिमी जोन के थानो की साइबर टीम	**साइबर सेल पश्चिमी जोन की पुलिस टीम**
1. उ0नि0 श्री दीपक शाक्य थाना चौक 2. उ0नि0 श्री लवकुश थाना दुबग्गा 3. उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना ठाकुरगंज 4. उ0नि0 श्री राहुल कुमार चौधरी थाना अमीनाबाद 5. उ0नि0 श्री सत्येन्द्र सैनी थाना नाका 6. उ0नि0 श्री राहुल कुमार नैन थाना कैसरबाग 7. उ0नि0 श्री परन्तप राय थाना तालकटोरा 8. उ0नि0 श्री जॉनमेजर वर्मा थाना सआदतगंज 9. उ0नि0 श्री आशुतोष थाना बाजारखाला 10. उ0नि0 श्री सुमित तिवारी थाना काकोरी 11. उ0नि0 श्री अभिषेक मिश्रा थाना वजीरगंज 12. म0का0 योगिता थाना पारा	1. प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री मोनेश कुमार 2. का0 विनय कुमार शाह 3. का0 सोनू कुमार 4. का0 अभिषेक यादव

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-899

दिनांक- 01.06.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-सरोजनीनगर

➢ *थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।*

01-संक्षिप्त विवरण-

वादिनी श्रीमती रूपा पत्नी स्वर्गीय राकेश कुमार निवासी कंकड़ कुआं, थाना बिजनौर, जनपद लखनऊ द्वारा दिनांक 29.05.2026 को थाना सरोजनीनगर पर लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया कि उनकी पुत्री की उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए हत्या कर दी गई है।

प्राप्त तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सरोजनीनगर पर तत्काल मु0अ0सं0 197/2026 धारा 80(2)/85 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विवेचना सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर, लखनऊ को सुपुर्द की गई।

विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर लखनऊ के द्वारा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु हुकुम तहरीर प्रदान की गयी जिसके अनुपालन में अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी, जिसके अनुपालन में पुलिस टीम द्वारा लगातार संभावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी तथा अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में दिनांक 01.06.2026 को मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी घेराबंदी करते हुए मुकदमे में नामजद अभियुक्त **पवन लोधी उर्फ गोलू** को **गहरू अण्डरपास** के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी से प्रकरण के अनावरण एवं विवेचना में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-पूछताछ विवरण एंव माड्यूस आपरेंडी-

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के द्वारा दहेज के लोभ में पत्नी को मारपीट कर प्रताडित किया गया जिस कारण उसने दिनांक 29.05.2026 को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

03-गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. पवन लोधी उर्फ गोलू पुत्र पप्पू नि0 ग्राम पिपरसण्ड थाना सरोजनीनगर लखनऊ उम्र करीब 27वर्ष।

04-पंजीकृत अभियोग-

1.मु0अ0सं0 197/2026 धारा 80(2)/85 भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं 3/4 डीपी एक्ट थाना सरोजनीनगर ल

05-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना सरोजनीनगर पुलिस टीम

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-901
दिनांक-01.06.2026

जोन-उत्तरी/थाना- सैरपुर

- **थाना सैरपुर पुलिस टीम ने महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर व्यपहरण कर बंधक बनाकर यौन शोषण करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.05.2026 को थाना स्थानीय पर मुकदमा वादिनी द्वारा सूचना दी गयी कि मंजूर अली पुत्र साबिर अली द्वारा वादिनी को नशीला पदार्थ सुघांकर व्यपहरण कर बंधक बनाकर यौन शोषण किया गया व अन्य व्यक्तियों द्वारा वादिनी को बंधक बनाया गया। तत्काल उपरोक्त शिकायत पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/2026 धारा 64/87/123/127(2) भा0न्या0सं0, 2023 थाना सैरपुर लखनऊ पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी द्वारा ग्रहण की गयी।

घटना की गम्भीरता को देखते हुये तत्काल वादिनी का मेडिकल परीक्षण, बयान अंतर्गत धारा 180 भा0ना0सु0सं0 की कार्यवाही की गयी। घटना के सफल अनावरण एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारीगण के आदेश निर्देश के क्रम में टीमों का गठन किया गया । गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 31.05.2026 समय 22.00 बजे शिव कालोनी रोड लखीमपुर खीरी से घटना उपरोक्त से सम्बन्धित नामित अभियुक्त मंजूर अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्रा0 महंगूखेड़ा थाना व जनपद खीरी हालपता शिव कालोनी रोड़ खीरी को गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थानो व जनपदो से जानकारी की जा रही है ।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

01- मु0अ0सं0 60/2026 धारा 64/87/123/127(2) भा0न्या0सं0, 2023 थाना सैरपुर जनपद लखनऊ।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

01-मंजूर अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्रा0 महंगूखेड़ा थाना व जनपद खीरी हालपता शिव कालोनी रोड़ खीरी ।

04-बरामद माल मुकदमाती का विवरण –

- मोबाइल फोन कम्पनी REDMI रंग बैगनी व 04 अदद सिम

05-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना सैरपुर लखनऊः-

1. थानाध्यक्ष मनोज कुमार कोरी
2. उ0नि0 रामदेव
3. उ0नि0 अनुराग गोस्वामी
4. का0 दिलीप द्विवेदी
5. म0का0 वर्षा तोमर

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-898
दिनांक 01.06.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना-पीजीआई

- **दिनांक 27-05-2026 को जनपद लखनऊ में हुई प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह की हुई हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया।**
- **मुख्य साजिशकर्ता सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **थाना पीजीआई व एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश लखनऊ टीम की संयुक्त कार्यवाही।**

01.कार्यवाही :-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ महोदय श्री अमरेन्द्र सिंह सेंगर व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एंव मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी के लिए चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान पुलिस उपायुक्त दक्षिणी महोदय श्री अमित कुमार आनन्द के कुशल पर्यवेक्षण व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज महोदय श्री ऋषभ यादव के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक पीजीआई श्री धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना पीजीआई व एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक-27-05-2026 को जनपद लखनऊ में हुई प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

02.संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक-27-05-2026 को जनपद लखनऊ में प्रापर्टी डीलर संदीप सिंह की गोली मारकर हुई हत्या की घटना के सम्बन्ध में थाना पी0जी0आई0 जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0-291/2026, धारा-103 (1) बीएनएस थाना-पीजीआई, कमिश्नरेट लखनऊ पर पंजीकृत हुआ है। अभियोग के अनावरण/अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु थाना पीजीआई पुलिस व एसटीएफ उत्तर प्रदेश की टीमो को लगाया गया था। आज दिनांक-01.06.2026 को अभियुक्त मुकर्रबीन उर्फ मुबीन को डलौना अन्डरपास के नीचे, सर्विस लेन, डलौना से व अभियुक्त दिनेश कुमार यादव को थाना पीजीआई पुलिस व एसटीएफ उत्तर प्रदेश टीम की संयुक्त कार्यवाही में गिरफ्तार किया गया।

03.गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1. दिनांश कुमार यादव पुत्र स्व0 राम चन्द्र यादव निवासी समुदा पोस्ट गोहिला थाना आलापुर अम्बेडकर नगर, हाल पता-ग्राम समदा थाना काकोरी जनपद लखनऊ
2. मुकर्रबीन उर्फ मुबीन पुत्र नईमुद्दीन निवासी आशोपुर, थाना अलीगंज, अम्बेडकरनगर।

04. पूछताछ विवरणः-

पूछताछ में अभियुक्त मुकर्रबीन उर्फ मुबीन द्वारा बताया गया कि मैं ड्राइवर का कार्य करता हूँ तथा वर्ष 2016 से दिनेश कुमार यादव पुत्र स्व0 रामचन्द्र यादव निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की गाड़ी चलाता हूँ। दिनेश यादव विभिन्न स्थानों पर प्रॉपर्टी का कार्य करता है। उसका संदीप सिंह से समदा स्थित जमीन को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था, जिसके

कारण संदीप सिंह द्वारा लगातार मुकदमेबाजी एवं शिकायतें की जा रही थीं, जिसके वजह से दिनेश यादव अत्यंत परेशान रहता था। इसी बात से परेशान होकर दिनेश यादव ने मुझसे कहा कि अब संदीप सिंह को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। इस बात पर मैने संदीप सिंह की हत्या के लिए एक आदमी से बातचीत करके 05 लाख रूपये में बात तय हुई। उस व्यक्ति ने 02 शूटर बुलवाया जिसके लखनऊ में रहने आदि की व्यवस्था मेरे द्वारा की गयी। दिनेश यादव के कहने पर मैंने शूटरों को संदीप सिंह के आने-जाने का रूट दिखाया। इस घटना को अंजाम देने के लिए एक मोटर साइकिल की आवश्यकता थी, जिसे खरीदने के लिए दिनेश कुमार यादव द्वारा मुझे पैसा दिया गया जिस पैसे से मैने अमीनाबाद से एक सेकेंड हैंड अपाचे मोटरसाइकिल खरीदी। जिस पर वास्तविक नम्बर प्लेट हटाकर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर कई बार रेकी एवं घटना को अंजाम दिया गया।

दिनेश कुमार यादव के बताये अनुसार शूटरों द्वारा दिनांक 27-05-2026 को उक्त घटना को अंजाम देने के लिए कहा गया, जिस पर बकरीद का त्योहार होने के बहाने मै घर चला गया तथा दिनेश कुमार यादव भी कही जाने वाला था, जिससे कि घटना के दिन हम लोगों की मौजूदगी जनपद लखनऊ में न रहे। दिनांक 27-05-2026 के दोपहर में शूटरों द्वारा फोन करके बताया गया कि संदीप सिंह की हत्या हो गयी है।

05.आपराधिक इतिहास अभियुक्त दिनेश यादवः-

1.मु0अ0सं0 178/2015 धारा 171F/131 भा0द0वि थाना आलापुर जनपद अम्बेडकर नगर।
2.मु0अ0सं0-304/2015 धारा 386/504/467/468/406/420 भा0द0वि0 थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।
3.मु0अ0सं0 342/2018 धारा 406/420/506 भा0द0वि0 थाना आशियाना जनपद लखनऊ।
4.मु0अ0सं0 507/2018 धारा 447 भा0द0वि थाना काकोरी जनपद लखनऊ।
5.मु0अ0सं0-881/2020 धारा 406/420 भा0द0वि थाना गोमतीनगर जनपद लखनऊ।
6.मु0अ0सं0-60/2022 धारा 406/420/504/506 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
7.मु0अ0सं0 283/2022 धारा 406/420/467/468/471/504/506 भा0द0वि0 थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ।
8.मु0अ0सं0-094/2023 धारा 504/506 भा0द0वि0 थाना काकोरी जनपद लखनऊ।
9.मु0अ0सं0 0489/2025 धारा 324(4)/351(3)/329(3)/61(2) बीएनएस थाना काकोरी जनपद लखनऊ।

06.अनावरित अभियोग का विवरण

1. मु0अ0सं0-291/2026, धारा-103(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा- 61(2)/3(5)/126(2) BNS

07. बरामदगी विवरणः-

- एक अदद फारचूनर गाडी (यूपी 32 पीपी 1001)
- एक अदद मर्सडीज गाडी (यूपी 32 एचएस 8914)
- एक अदद रेनवेल्ट किगर गाडी (यूपी 32 एनएफ 8742)
- एक अदद टाटा सफारी गाडी (यूपी 32 एचडी 1001)
- नम्बर प्लेट रजिस्ट्रेशन न0-यूपी32जीआर2185
- नगद 3300/- रुपये
- मोबाइल फोन-02 अदद।

08.गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

थाना पीजीआई जनपद लखनऊ व एस0टी0एफ0 लखनऊ, उत्तर प्रदेश की संयुक्त पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-900
दिनांक-01.06.2026

क्राइम ब्रांच, लखनऊ

➤ **कमिश्नरेट लखनऊ की स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना चिनहट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0-389/24 धारा- 140(2)/308(2)/3(8) बीएनएस के विवेचक द्वारा फिरौती हेतु अपहरण करने वाले 01 नफर शातिर वांछित / 50 हजार रूपये इनामिया अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।**

01-सक्षिप्त विवरण-

स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 - 389/24 धारा-140(2)/308(2)/3(8) बीएनएस से संबन्धित 01 नफर शातिर वांछित/50 हजार रूपये इनामिया नामजद अभियुक्त **01. संजय पुत्र जयप्रकाश निवासी तिसौली थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र-30** वर्ष को दिनांक 01.06.2026 को गाजियाबाद के इन्ड्रस्ट्रियल एरिया के रोडबेज बस स्टाप जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तारी किया गया।

02- कार्यवाही का विवरण-

स्वाट/सर्विलांस टीम व कोतवाली चिनहट पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, को फिरौती मांगने हेतु अपहरण करने के संबन्ध में कार्यालय-प्रभारी निरीक्षक थाना स्थानीय पर दिनांक 21.08.2024 को वादी मुकदमा कर्मवीर सिंह पुत्र स्व0 राजेश सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट अमराई गाँव थाना बाबा बाजार जनपद अयोध्या द्वारा वादी मु0अ0सं-389/24 धारा-140(2) बीएनएस बनाम 01 संजय व अन्य के पंजीकृत कराया गया था। अभियोग उपरोक्त में उच्चाधिकारीगण महोदय के आदेश/निर्देश के क्रम में गठित टीम द्वारा दिनांक 22.08.2024 को प्रकाश में आये अभियुक्तगण (1)-रविन्दर सिंह पुत्र विश्वराज सिंह निवासी न्यू गुलिस्ता कालोनी थाना चिनहट जनपद लखनऊ मूलपता गांव महसुनिया थाना मिसरिख जिला सीतापुर व (2)-जिशान अहमद उर्फ अहमद कलाम पुत्र रिजवान अहमद निवासी ग्राम गदिया थाना कोतवाली जिला बाराबंकी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध कराया गया था। मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मनोज वर्मा पुत्र शिव पुजन वर्मा निवासी ग्राम चाँदा बुजुर्ग थाना पैकोलिया जिला बस्ती को दिनांक 12.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध कराया गया था। प्रभारी निरीक्षक अभियोग उपरोक्त में नामजद अभियुक्त संजय उपरोक्त निरंतर फरार चल रहा था जिसके विरूद्ध आवश्यक नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए एनबीडब्ल्यू, 84 बीएनएसएस की उदघोषणा व 85 बीएनएसएस के तहत कुर्की दिनांक 11.11.2025 को अभियुक्त संजय उपरोक्त के अचल की सम्पत्ति की कुर्की की कार्यवाही की गयी थी। तथा अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय द्वारा मफरूर घोषित करते हुए स्थायी वारंट जारी किया गया था

उच्चाधिकारीगण द्वारा निरंतर अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबन्ध में टीमें गठित की गयी तथा अभियुक्त के विरूद्ध उच्चाधिकारीगण द्वारा 50 हजार रूपए पुरस्कार को घोषित किया गया। गठित टीम द्वारा **अभियुक्त संजय उपरोक्त को जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार** किया गया जिसको हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01.संजय पुत्र जयप्रकाश निवासी तिसौली थाना खुटहन जनपद जौनपुर उम्र-30 वर्ष

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-389/24 धारा-140(2)/308(2)/3(8) बीएनएस

05-अभियुक्त संजय उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः

(1) मु0अ0सं0 342/18 धारा 140, 34, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कैण्ट जनपद अयोध्या।
(2) मु0अ0सं0 313/22 धारा 140, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना कैण्ट जनपद अयोध्या।
(3) मु0अ0सं0 684/20 धारा 171, 406, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना को0 नगर जनपद अयोध्या।
(4) मु0अ0सं0 427/21 धारा 140, 406, 419, 420, 467, 468, 471 भादवि थाना रौनाही जनपद अयोध्या।

"कमिश्नरेट लखनऊ में संगठित अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ पुलिस की अपराध शाखा की स्वाट एवं सर्विलांस टीम की प्रभावी कार्रवाई के परिणामस्वरूप फिरौती एंव नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले वांछित ईनामिया अपराधी को गिरफ्तार कर खुलासा किया गया है। अपराधियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा शहर में कानून-व्यवस्था एवं नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने हेतु इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।"

किरन यादव (I.P.S.)
अपर पुलिस उपायुक्त अपराध
कमिश्नरेट , लखनऊ।